रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012022-232439 CG-DL-E-05012022-232439

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66] No. 66] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 5, 2022/पौष 15, 1943 NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 5, 2022/PAUSHA 15, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2022

संख्या 49/2015-2020

विषयः आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय—71 के तहत सोना के आयात नीतिगत शर्तों में संशोधन।

का.आ. 67(अ).—समय—समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पिठत विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पिठत धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची—I(आयात नीति) के अध्याय—71 के तहत किसी भी रुप में मौद्रिक सोना और चांदी को छोड़कर किसी भी रुप में सोना के आयात नीतिगत शर्तों में निम्नानुसार संशोधन करती है:—

आईटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
71061000	पाउडर	प्रतिबंधित	आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों के लिए) द्वारा यथा अधिसूचित केवल नामित एजेंसियों के माध्यम से आयात की अनुमति है।	मौजूदा नीतिगत शर्त में कोई परिवर्तन नहीं

95 GI/2022 (1)

71069110	अनगढ़ः ग्रेन		आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों के लिए) द्वारा यथा अधिसूचित केवल नामित एजेंसियों के माध्यम से आयात की अनुमति है।	
71069190	अनगढ़ः अन्य	प्रतिबंधित	एयू शर्त के साथ लाइसेन्स के मद्दे रिफाइनरियों द्वारा सिल्वर डोरे का आयात किया जा सकता है।	
71069210	शीट, प्लेट, स्ट्रिप, ट्यूब और पाइप	प्रतिबंधित	आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों के लिए) द्वारा यथा अधिसूचित केवल नामित एजेंसियों के माध्यम से आयात की अनुमति है।	मौजूदा नीतिगत शर्त में कोई परिवर्तन नहीं
71069290	अन्य	प्रतिबंधित	आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों के लिए) द्वारा यथा अधिसूचित केवल नामित एजेंसियों के माध्यम से आयात की अनुमति है।	मौजूदा नीतिगत शर्त में कोई परिवर्तन नहीं
71081100	पाउडर	प्रतिबंधित	आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों के लिए) द्वारा यथा अधिसूचित केवल नामित एजेंसियों के माध्यम से आयात की अनुमति है।	मौजूदा नीतिगत शत में कोई परिवर्तन नहीं
71081200	अन्य अनगढ स्वरुप	प्रतिबंधित	आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों के लिए) द्वारा यथा अधिसूचित केवल नामित एजेंसियों के माध्यम से आयात की अनुमति है। एयू शर्त के साथ लाइसेंन्स के मद्दे रिफाइनरियों द्वारा गोल्ड डोरे का आयात किया जा सकता है।	आरबीआई (बैंकों के मामले में),डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों के लिए) और आईएफएससीए (इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के द्वारा अर्हता प्राप्त ज्वेलर्स हेतु) द्वारा यथा अधिसूचित केवल नामित एजेंसियों के माध्यम से आयात की अनुमित है। एयू शर्त के साथ लाइसेंन्स के मद्दे रिफाइनरियों द्वारा गोल्डडोरे का आयात किया जा सकता है।
71081300	अन्य अर्ध—विनिर्मित स्वरुप	प्रतिबंधित	आरबीआई (बैंकों के मामले में) औरडीजीएफटी (अन्य एजेंसियों के लिए) द्वारा यथा अधिसूचित केवल नामित एजेंसियों के माध्यम से आयात की अनुमति है।	मोजूदा नीतिगत शर्त में कोई परिवर्तन नहीं
71189000	अन्य	प्रतिबंधित	आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों के लिए) द्वारा यथा अधिसूचित केवल नामित एजेंसियों के माध्यम से आयात की अनुमति है।	में),डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों के

^{2.} अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत सोने/चांदी का आयात और निर्यात आदेश के मद्दे विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.45 के तहत विदेशी क्रेताओं द्वारा निर्यातकों को सीधे सोने/चांदी की आपूर्ति विदेश व्यापार नीति के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा अभिशासित करना जारी रहेगा।

^{3.} आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 71 के तहत ''सोना किसी भी रुप में'' वाक्यांश में 22 कैरेट से अधिक का सोना किसी भी रुप में शामिल है।

अधिसूचना का प्रभाव : आरबीआई (बैंकों के मामले में) द्वारा यथा अधिसूचित नामित एजेंसियों और डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित नामित एजेंसियों के अलावा, अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा यथा अधिसूचित अर्हता प्राप्त ज्वेलर्स को इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लि०(आईआईबीएक्स) के माध्यम से विशिष्ट आईटीसी (एचएस) कोड के तहत सोना आयात करने की अनुमित होगी।तथापि, अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत सोने/चांदी का आयात और निर्यात आदेश के मद्दे विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.45 के तहत विदेशी क्रेताओं द्वारा निर्यातकों को सीधे सोने/चांदी की आपूर्ति विदेश व्यापार नीति के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा अभिशासित करना जारी रहेगा।

इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01 / 89 / 180 / 36 / एएम—11 / पीसी—2(क) / ई—1678] अमित यादव,महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2022

No.49/2015-2020

Subject: Amendment in import policy conditions of gold under Chapter 71 of Schedule – I (Import Policy) of ITC (HS), 2017

S.O. 67 (E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the import policy conditions for gold in any form, other than monetary gold and silver in any form under Chapter 71 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy) as under:

ITC(HS) Code	Item Description	Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
71061000	Powder	Restricted	Import is allowed only through nominated agencies as notified by RBI (in case of banks) and DGFT (for other agencies).	No change in existing Policy Condition
71069110	Unwrought: Grains	Restricted	Import is allowed only through nominated agencies as notified by RBI (in case of banks) and DGFT (for other	No change in existing Policy Condition
71069190	Unwrought: Others		agencies). Silver dore can be imported by refineries against a license with AU condition.	
71069210	Sheets, plates, strips, tubes and pipes	Restricted	Import is allowed only through nominated agencies as notified by RBI (in case of banks) and DGFT(for other agencies).	No change in existing Policy Condition
71069290	Other	Restricted	Import is allowed only through nominated agencies as notified by RBI (in case of banks) and DGFT(for other agencies).	No change in existing Policy Condition

71081100	Powder	Restricted	Import is allowed only through nominated agencies as notified by RBI (in case of banks) and DGFT (for other agencies).	No change in existing Policy Condition
71081200	Other unwrought forms	Restricted	through nominated agencies as notified by RBI (in case	Import is allowed only through nominated agencies as notified by RBI (in case of banks), DGFT (for other agencies) and IFSCA(for qualified jewellersthrough India International Bullion Exchange) Gold Dore can be imported by refineries against an import license with AU condition.
71081300	Other semi- manufactured forms	Restricted	Import is allowed only through nominated agencies as notified by RBI (in case of banks) and DGFT (for other agencies).	No change in existing Policy Condition
71189000	Other	Restricted	through nominated agencies as notified by RBI (in case	Import is allowed only through nominated agencies as notified by RBI (in case of banks), DGFT (for other agencies) and IFSCA(for qualified jewellersthrough India International Bullion Exchange).

- 2. Import of gold/silver under Advance Authorisation and supply of gold/silver directly by foreign buyers to exporters under para 4.45 of FTP against export orders would continue to be governed by the relevant FTP provisions.
- 3. The expression "Gold in any form" includes gold in any form above 22 carats under Chapter-71 of ITC (HS), 2017, Schedule-I (Import Policy).

Effect of the Notification: In addition to nominated agencies as notified by RBI (in case of banks) and nominated agencies notified by DGFT, qualified jewellers as notified by International Financial Services Centres Authority (IFSCA) will be permitted to import gold under specific ITC(HS) Codes through India International Bullion Exchange IFSC Ltd. (IIBX). However, Import of gold/silver under Advance Authorisation and supply of gold/silver directly by foreign buyers to exporters under para 4.45 of FTP against export orders would continue to be governed by the relevant FTP provisions.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F.No.01/89/180/36/AM-11/PC-2(A)/ E-1678]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade&

Ex- officio Addl. Secy.